भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 835
06/02/2026 को उत्तरार्थ

विषय: बीज और पोषण सुरक्षा में आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु नई योजनाएँ

835. श्री मिलिंद मुरली देवराः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या बीज और पोषण सुरक्षा में आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु 100 चिन्हित जिलों में नई योजनाएँ शुरू की गई हैं;

(ख) ऐसे जिलों के चयन के लिए उपयोग किए गए मापदंड क्या हैं;

(ग) दालों और तिलहन उत्पादन में लक्षित वृद्धि कितनी है; और

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों के प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण के लिए क्या प्रावधान हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (डीडीकेवाई) 11 अक्टूबर, 2025 को चयनित 100 जिलों में आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरान्त भंडारण को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, और दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है।

(ख): डीडीकेवाई जिलों का चयन कम फसल उत्पादकता, कम फसल सघनता और ऋण तक सीमित पहुंच के आधार पर किया गया था।

(ग) और (घ): डीडीकेवाई जिले स्थानीय स्थिति, चुनौतियों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला कार्य प्लान (डीएपी) तैयार करते हैं। दलहन में आत्मनिर्भरता पर राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन को डीडीकेवाई जिलों में अभिसरण के लिए 36 केंद्रीय योजनाओं में शामिल किया गया है। दोनों मिशनों की क्षमता निर्माण, क्षेत्र विस्तार और अन्य गतिविधियां जिला डीडीकेवाई समिति द्वारा अंतिम रूप दिए गए डीएपी पर आधारित होंगी।
